कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय महत्व की मंडी)

नए कार्यालय परिसर एन.एफ.एम. फेज– II

सराय पीपल थला, आजादपुर, दिल्ली–33

फ़ोन:- 27691807, 27691804, फैक्स:- 27691762, 27691668

वेबसाइट: www.apmcazadpurdelhi.com ई-मेल: pmcazadpur@gmail.com

दिनांक:- 12/10/2020

फाइल नं. APMC/EM/2020-21/773/1083

परिपत्र

दिल्ली कृषि विपणन परिषद के पत्र सं. 9488--94, दिनांक 05.12.2019 की अनुपालना में समस्त लाईसैसधारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि कृषि उपज विपणन समिति (एम.एन.आई.), आजादपुर में 50 किलोग्राम से अधिक वजन के कृषि उत्पादों के बंडलों / कट्टों के क्रय–विक्रय एवं उनको उतारने/चढाने (loading/unloading) एवं ढुआई (transportation) सहित उनकी हैंडलिंग को निषेध किया जाता है।

विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकीकरण के माध्यम से श्रम सुधारों एवं दुनिया के सभी श्रमिकों के अधिकतम बेहतरी के लिए कार्यरत है, ने मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए इस संदर्भ में अधिवेशन संख्या –127 एवं अनुशंसा पत्र संख्या –128 पारित किया है जिसके अनुसार एक व्यस्क पुरूष कामगार द्वारा शारीरिक रूप से एक बार में अधिकतम 50 किलोग्राम तक ही वजन उठाकर ढोया जा सकता है। श्रम सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध भारत सरकार ने उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अनुमोदित किया है और इस संदर्भ में तत्कालीन श्रम मंत्री भारत सरकार ने 30 अगस्त 1999 को पत्र लिखकर राज्य सरकार से सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।

अतः उपरोक्त कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए दिल्ली कृषि विपणन परिषद ने दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 में वर्णित अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिल्ली की सभी कृषि उपज विपणन समितियों हेतु आने वाले सभी कृषि उपजों का अधिकतम वजन 50 किलोग्राम तक सीमित कर दिया गया है और सभी संबंधित पक्षों को उसका सख्ती से अनुपालन करने का आदेश जारी किया है। इस परिपत्र का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने की स्थिति में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों के स्वास्थ्य एवं पेशागत जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिल्ली कृषि विपणन मंडल, नई दिल्ली की प्रतिबद्धता के मद्देनजर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत यह परिपत्र जारी किया जा रहा है।

A.P.M.C. (M.N.I.) AZADPUR
I. T. Branch
12 OCT 2020
Diary No. R-291

उप–सचिव (प्रवर्तन)

(1) समस्त लाईसैंसधारी,
कृषि उपज विपणन समिति (एमएनआई),
आजादपुर, दिल्ली

(2) I.T. शाखा.